तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/3242/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम सोमा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी।
2– अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

––

निर्णय
दिनांक–04.02.2026

यह रेफरेंस न्यायालय जिला कलेक्टर, डूंगरपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 28–12–2005 से अनुशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रेलड़ा, में वर्तमान भू–प्रबन्ध में आराजी खसरा नंबर 748 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि किस्म नाला दर्ज थी। उक्त आराजी आवंटन/नियमन/खातेदारी हेतु उपलब्ध नहीं होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी की भूमि थी। आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आराजी नं0 748 में से रकबा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता श्री मरता पिता भेमा जाति मीणा निवासी रेलड़ा, तहसील डूंगरपुर को दिनांक 16–07–1976 को किया गया है जो नामान्तरकरण सं0 134 द्वारा अप्रार्थीगण के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/3242/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम सोमा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चुका है। उक्त आवंटन/नामान्तरकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रारम्भ से ही शून्य एवं बेअसर होने से उक्त भूमि का आवंटन/खातेदारी एवं उसके आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण को निरस्त किया उक्त भूमि को पुनः राजकीय भूमि नाला दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। 3– उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 28–12–2005 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को अनुशंषा के साथ प्रेषित किया है। 4– अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया गया जिसकी आदिनांक तक ए.डी. अप्राप्त समयावधि मानकर तामील मानी जाती है। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजें लगवाई गई लेकिन बावजूद सूचना कोई भी उपस्थित नहीं होने से उप राजकीय अभिभाषक की रेफरेन्स पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। 5– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अनुसार समस्त नदियां, नाले, झीलें, तलाई और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरूद्ध है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी भूमि पर किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/3242/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम सोमा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी व्यक्ति को खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि की किस्म नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें। 6– हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत तर्कों पर गहनता से मनन करते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व परिशीलन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रेलडा में वर्तमान भू–प्रबन्ध में आराजी खसरा नं0 748 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि किस्म नाला दर्ज थी। उप भूमि आवंटन/नियमन/खातेदारी हेतु उपलब्ध नहीं होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी की भूमि थी जो नियमानुसार आवंटन नहीं की जा सकती थी लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाला दर्ज होते हुए भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि में से 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण को नियम विरूद्ध आवंटित की गयी है। उक्त आवंटन के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण भी दर्ज हो गया है तथा उसे खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है। उक्त आवंटन/नामान्तरकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रारम्भ से ही शून्य एवं बेअसर होने से खारिज योग्य है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार उक्त भूमि पर किसी भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/3242/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम सोमा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय दिनांक 02–08–2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी भूमि यदि किसी की खातेदारी में दर्ज हो गई हो तो उक्त किस्म की भूमि को वापस राजकीय भूमि किस्म नाला दर्ज की जावें। 8– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गै0मु0नाला'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– "4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" 9– इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– 16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.- Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/3242/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम सोमा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; 10– प्रश्नगत भूमि पूर्व में नाला की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 02–08–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। 11– अतः उपरोक्त परिस्थिति में जिला कलेक्टर, डूंगरपुर द्वारा मण्डल को विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/3242/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम सोमा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह रेफरेन्स **स्वीकार** किया जाकर ग्राम रेलडा में स्थित आराजी खसरा नं0 748 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा में से हाल खसरा नं0 1529/748 रकबा 10 बिस्वा भूमि को वापस किस्म नाला राजकीय दर्ज की जाकर प्रश्नगत भूमि से अप्रार्थी की खातेदारी निरस्त करते हुए अप्रार्थी के पक्ष में राजस्व अभिलेख में अंकित किये गये समस्त इन्द्राज निरस्त किए जाते हैं। 13– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	